**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 998**

**27 जून, 2019 को उत्तर के लिए**

# पीएमएवाई के अंतर्गत लक्ष्य

**998. श्री एच. वसंत कुमार :**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार विशेष रूप से तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत निर्मित किफायती घरों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास इस योजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिए योजना के तहत तय किए गए नए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई योजना क्या है?

## उत्तर

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री हरदीप सिंह पुरी)**

**(क) से (ग) :** "वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास" के सरकार के विजन के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) श्रेणियों से संबंधित लोगों की आवास संबंधी आवश्यकताओं के समाधान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) {(पीएमएवाई (यू)} को कार्यान्वित कर रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए मांग संबंधी सर्वेक्षण करवाया है। अब तक मान्य मांग लगभग 100 लाख है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, कुल 81,03,196 आवास अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 47,57,987 आवास निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और 26,07,913 आवास पूरे कर लिए गए हैं/उनका कब्जा ले लिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर मार्च, 2020 तक शेष मांग स्वीकृत कर दी जाएगी ताकि 2022 तक सभी आवासों का निर्माण कार्य उत्तरोत्तर पूरा कर लिया जाए। पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत निर्मित आवासों का तमिलनाडु राज्य सहित वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक पर दिया गया है।

**(घ) :** वर्ष 2022 तक ''सबके लिए आवास'' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने निम्न उपाय किए हैं:

i. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवास की शेष मांग को शीघ्रतिशीघ्र एवं मार्च,2020 तक मंजूर कराने हेतु अनुरोध किया गया है ।

ii. मिशन के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (एनयूएचएफ) सृजित किया गया है ।

iii. मंत्रालय ने आवासों की शीघ्र सुपुर्दगी के लिए चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से विश्वव्यापी स्तर पर वैकल्पिक तथा नवीनतम प्रौद्योगिकियों की पहचान करने एवं उन्हें सूचीबद्ध करने हेतु वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-इंडिया) आयोजित की।

iv. मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों तथा लाभार्थियों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करने के लिए कार्यान्वयन एवं नवीनीकरण हेतु ''पीएमएवाई(यू) पुरस्कार'' आरंभ किए हैं।

v. सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) नई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की मंजूरी हेतु प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करती है और मिशन की प्रगति की समीक्षा करती है ।

vi. मंत्रालय आवधिक समीक्षा बैठकों, वीडियो-कॉन्फ्रेंसों तथा क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से मिशन की प्रगति की निगरानी करता है ।

vii. पीएमएवाई(यू)-एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली), भुवन पोर्टल, पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) और स्वीकृत आवासों की जियो-टैगिंग/जियो फेंसिंग के माध्यम से सूचना/अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रभावी निगरानी हेतु किया जा रहा है।

viii. पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पद्धति के माध्यम से भुगतान करना एवं लाभार्थियों को आधार से जोड़ना सुनिश्चित किया जाता है ।

ix. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) राज्य सत्तर पर मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करती है ।

*******

अनुलग्नक

दिनांक 27.06.2019 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 998 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई(यू) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मित आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वर्षवार पूरे किए गए आवास | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (यूटी) | - | - | 22 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3,299 | 29,791 | 2,63,266 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | - | 16 | 1,258 |
| 4 | असम | 66 | 381 | 12,601 |
| 5 | बिहार | 12,1 | 2,100 | 53,420 |
| 6 | चंडीगढ़ (यूटी) | 4,963 | 57 | 154 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 3,307 | 3,561 | 47,510 |
| 8 | दादर और नगर हवेली (यूटी) | 103 | 366 | 1,029 |
| 9 | दमन और दीव (यूटी) | 3 | 65 | 291 |
| 10 | दिल्ली (यूटी) | 4,244 | 2,487 | 17,579 |
| 11 | गोवा | 10 | 99 | 393 |
| 12 | गुजरात | 28,9 | 48,726 | 1,82,080 |
| 13 | हरियाणा | 549 | 2,093 | 10,497 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 43 | 202 | 1,779 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 203 | 179 | 3,623 |
| 16 | झारखंड | 3,886 | 26,421 | 43,557 |
| 17 | कर्नाटक | 11,9 | 31,087 | 1,05,038 |
| 18 | केरल | 301 | 3,801 | 43,022 |
| 19 | लक्षद्वीप (यूटी) | - | - | - |
| 20 | मध्य प्रदेश | 5,316 | 39,119 | 2,35,457 |
| 21 | महाराष्ट्र | 13,6 | 35,112 | 1,17,281 |
| 22 | मणिपुर | 24 | 177 | 1,533 |
| 23 | मेघालय | 248 | 27 | 375 |
| 24 | मिजोरम | 118 | 188 | 626 |
| 25 | नगालैंड | 494 | 89 | 1,392 |
| 26 | ओडिशा | 2,771 | 2,376 | 48,417 |
| 27 | पुदुचेरी (यूटी) | 79 | 51 | 1,414 |
| 28 | पंजाब | 338 | 1,860 | 9,407 |
| 29 | राजस्थान | 4,256 | 8,204 | 21,641 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | सिक्किम | 1 | 2 | 31 |
| 31 | तमिलनाडु | 6,636 | 34,157 | 1,57,033 |
| 32 | तेलंगाना | 2,792 | 3,140 | 43,270 |
| 33 | त्रिपुरा | 161 | 7,303 | 32,104 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 9,639 | 12,005 | 2,66,262 |
| 35 | उत्तराखंड | 1,479 | 1,986 | 5,728 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 7,191 | 30,765 | 87,531 |
| **कुल** | | **1,29,1** | **3,27,993** | **18,16,621** |